

एफ-14- 06 / 2016 / तीन / जेल

विषय:- रिट याचिका क्र.-1202/2016 बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह

विषय: विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

1- पंजी क्रमांक-570 ,दिनांक 8-3-2016

श्री. शैलेन्द्र सिंह
का विभाग
P-11C

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। जेल मुख्यालय द्वारा याचिका क्रमांक-1202/2016 बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में प्रत्यावर्तन हेतु विधि अधिकारी, केन्द्रीय जेल, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2/ अतः जेल मुख्यालय के प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में विधि अधिकारी, केन्द्रीय जेल, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए तदनुसार आदेश प्रारूप अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अ0अ0

उप सचिव

कृ. प्र. शासन के पत्र

8/3/16

8/3/16

9/3/16

9/3/16

9/3/16

जाचक क्र. 496-97/3/16

दिनांक 09/03/2016

अपक
9/3/16

अधिस-2 सचिवलय

8/3/16
224/ACJ/16
9/3/16

-2-

एफ-14-06/2016/तीन/जेल

विषय:-रिट याचिका कं.-1202/2016 बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह

विषयविरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

छव्नीस-२ सचिवालय

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

2. अतः प्रतिरक्षण आदेश जारी किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

अनुभाग अधिकारी

उप सचिव (जेल)

[Signature]

विधि विभाग

[Signature]
9/3/16
[Signature]
09/3/16
15:30
(प्रमोद मीना)
अपर मुख्य सचिव
नस्ती विधि विभाग
जेल विभाग, बंगलूर

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती पर नस्ती है।

जेल विभाग

(अमित कुमार मिश्र)
भा.वि. सचिव
विधि विभाग

[Signature]

17-3-16

9/3/2016

[Signature]

[Signature]

9/3/16
17.3.16

230
14/3/16
15/3/16

14/3/16

7903

17/3/16
18/3/16

भोपाल, दिनांक ०९ मार्च, 2016

क्रमांक-एफ-14- ०६ /2016/तीन/जेल : सिविल सेवा प्रक्रिया संहिता (1.90) का अधिनियम क्रमांक-05 के आदेश 27 के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधि अधिकारी, केन्द्रीय जेल, जबलपुर को पक्षकार का नाम विविध याचिका क्रमांक-1202/2016 द्वारा बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य में तथा उसकी ओर से प्रभारी के रूप में अवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उप संज्ञात के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग को नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शक्तियों में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसा की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए और ऐसे अभिलेख जानकारी देते हुये जिससे कि मामले के संचालन में अधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग को रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जायेगा।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल का दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता/अभिभावक से संपर्क करेगा।
- (5) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (6) मामले के निराकरण के लिये आवश्यक कागजातों पत्रों को प्रक्रिया जिसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी एवं संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने की तैयारी एवं अन्य मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।



- (10) प्रभारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का दिनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।
- (11) प्रभारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश निरीक्षित अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा।
- (12) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिस पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जानी है ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (13) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित करते हुये प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दशरथ कुमार)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

पृ.क्रमांक-एफ-14-66/2016/तीन/जेल

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश,
2. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर/उप महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर।
3. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. विधि अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से कार्यवाही करने के लिये एवं मामले पर अपनी रिपोर्ट इस कवभाग को भेजने हेतु अग्रेषित। विभाग के साथ-साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भी प्रगति रिपोर्ट सदैव भेजें। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को अनिवार्यतः भिजवायें।
5. आदेश फाईल।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

पेज क्रमांक (//) की टाईप कॉपी

प्रारूप - (च)

[नियम 5 (क) देखिये]

छुट्टी / आपात छुट्टी पर नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति, अधीक्षक

जिला जेल बैतूल

विषय :- मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अधीन छुट्टी मंजूर करने के लिये आवेदन।

महोदय :-

निवेदन है, कि मुझे परिजनो से मिलने हेतु के लिये 04.02.2015 से 28.02.2015 (15) दिन तक की कालावधि की छुट्टी / आपात छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। छुट्टी की कालावधि के दौरान मैं निम्नलिखित स्थानों को जाऊंगा। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं नीचे उल्लिखित स्थानों से भिन्न अन्य किसी भी स्थानों को नहीं जाऊंगा :-

छुट्टी के लिए प्रस्तावित स्थान :-

1. ग्राम सारणी डाक खाना सारणी (पाथाखेडा)
थाना सारणी जिला बैतूल

प्रस्तावित जमानतदारों के नाम मय पिता के

1. नाम दलवीर सिंह पिता मंगल सिंह
ग्राम प्रेमनगर पाथाखेडा डाक खाना पाथाखेडा
थाना सारणी जिला बैतूल
2. नाम सिंहात सिंह पिता स्वर्ण सिंह
ग्राम सुभाष नगर पाथाखेडा डाक खाना पाथाखेडा
थाना सारणी जिला बैतूल

हस्ताक्षर
कल्याण परिवीक्षा अधिकारी

हस्ताक्षर
बंदी के हस्ताक्षर



पेज क्रमांक (/ 2) की टाईप कॉपी

जेल कार्यालय के लिये

बंदी क्रमांक 886/14 नाम शैलेन्द्र सिंह
 आत्मज मंगल सिंह निवासी शोभापुर कालोनी टाईप 3 के पास
 अपराध की धारा 302/34, 364, 435, 201 भा.द.वि.
 के लिये दंडादिष्ट आजन्म कारावास, आजन्म कारावास, 3 वर्ष, 3 वर्ष, सश्रम कारावास
 दण्डादेश की तारीख 10.09.2013
 दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम मान. श्री प्रशांत कुमार निगम 1st ASJ Betul
 पूर्व में ली गई छुट्टी / आपात छुट्टी यदि कोई हो कुछ नहीं

विचारधीन अवधि	वर्ष <u>00</u> , माह <u>03</u> , दिन <u>1</u>
दण्डादेश दिन को भुगते हुए कुल <u>(27.12.2014)</u>	वर्ष <u>01</u> , माह <u>03</u> , दिन <u>1</u>
प्राप्त परिहार पर भुगत हुए	वर्ष <u>00</u> , माह <u>05</u> , दिन <u>2</u>
कुल दण्डादेश	वर्ष <u>02</u> , माह <u>01</u> , दिन <u>1</u>
अंतिम परिहार पर अवशेष दण्डादेश	<u>शासन आदेश तक</u>
जेल में बंदी का आचरण	<u>अच्छा</u>

अधीक्षक जेल बैतूल के हस्ताक्षर

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जिला / उप जेल बैतूल

क्रमांक 95/वारंट/2015

दोष सिद्धी व्यक्ति शैलेन्द्र सिंह

आत्मज मंगल सिंह का आवेदन पत्र मूलतः.....

1. जिला मजिस्ट्रेट जिला बैतूल

को जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया जाता है। प्रश्नप्रद बंदी को छुट्टी / आपात छुट्टी की पात्रता है। उसके मामले की सिफारिश की जाती है।

अधीक्षक जिला जेल बैतूल के
हस्ताक्षर

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

14

11

जेल में बंद कैदी (बंदी) को पैरोल/प्रोवेशन पर छोड़ने बाबत पुलिस विभाग का प्रतिवेदन
 बंदी क्रमांक / 886/14 नाम मोहम्मद सिंह पिता का नाम मोहम्मद सिंह
 आयु 38 वर्ष जाति सिख निवासी ग्राम नं. 106 पोस्ट
सुपर पायाबंदी
 तहसील बोरोडी जिला लुधियाना

01	बंदी के पूर्व इतना, बंदी जिस अपराध में सजा भुगत रहा है, इसके पूर्व के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी।	हाँ
	(ब) यदि बंदी अत्यन्त अपराधी है तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी संलग्न करें।	
02	बंदी के जमानतदार श्री <u>मोहम्मद सिंह</u> पिता श्री <u>मोहम्मद सिंह</u> आयु <u>42</u> वर्ष जाति <u>सिख</u> निवासी <u>ग्राम नं. 106 पोस्ट</u> <u>सुपर पायाबंदी</u> <u>ग्राम नं. 106 पोस्ट</u> तहसील <u>बोरोडी</u> जिला <u>लुधियाना</u> को प्रस्तावित किया गया है।	
	(अ) प्रस्तावित संरक्षक/जमानतदार बंदी पर सामान्यतः माता/पिता के स्थान पर प्रभावी नियंत्रण रख सकते हैं।	नहीं
	(ब) प्रस्तावित जमानतदार/संरक्षक स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, उसके ऊपर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, यदि अपराध दर्ज है तो उसका विवरण संलग्न करें।	नहीं है
	(स) प्रस्तावित संरक्षक मूढ़/बीमार/विकलांग तो नहीं है, यदि है तो उसका विवरण।	नहीं
	(द) निष्कर्ष - बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार/संरक्षक योग्य है अथवा नहीं? यदि अयोग्य है तो कारण दर्शावे।	संरक्षक योग्य नहीं है कारण 15 आमकीय सेवा में है
03	बंदी जिस अपराध में दण्डित किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में सम्बद्ध है तो उसका विवरण तथा ऐसे अपराध के अभियोजन में की गई कार्यवाही की जानकारी।	हाँ
04	बंदी पूर्व में किस-किस समय जमानत पर छोड़ा गया। बंदी द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का दुरुपयोग किया गया अथवा नहीं? जेल से छूटने की अवधि में कोई अपराध किया है तो विवरण।	पहली बार अपराध हेतु अवेदन प्रस्तुत किया
05	क्या बंदी द्वारा अथवा उसके और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्षियों को धमकाने या परेशान करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं? यदि हाँ तो उसका विवरण संलग्न करें।	बंदी द्वारा पीड़ित पक्ष से जानकारी ले ली गई थी पीड़ित पक्ष के अग्रणी

प्रस्तावित प्रति

वरिष्ठ

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
 केन्द्राय जेल जयलपुर

06	बंदी के परिवार के सदस्यों का पूर्ववृत्तान्त, यदि वे अपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उसका पूर्ण विवरण तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा।	नहीं
07	बंदी का पूर्ववृत्तान्त तथा उसकी आयु, योग्यता, व्यवसाय आदि का विवरण तथा जेल में एवं उसके बाहर व्यवसाय का विवरण।	बंदी पूर्व में हुंकारा की काम करता था
08	बंदी के रिहा करने पर समाज में शांति तथा कानून व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी।	शांति व्यवस्था में कोई भी लंबावत नहीं
09	बंदी को रिहा करने पर बंदी के विरोधी/पंडित पक्ष (मृतक) के माता/पिता, भाई, पत्नी, पुत्र/पुत्री या नजदीकी रिश्तेदार का मत/साधनाएँ/विचार तथा उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। अभिमत लिखित में प्राप्त करें।	इसके की लंबावत है
10	बंदी को रिहा करने पर बंदी के स्वयं के जीवन को कोई खतरा तो नहीं है? क्या वह जेल से छूटकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा।	संभव है
11	बंदी के ग्रामवासी/पड़ोसी/सरपंच/बाई प्रमुख/पार्षद का मत लिखित में प्राप्त कर सलग्न करें।	पड़ोसी ने-कम सलग्न है
12	बंदी द्वारा अपराध करने का तरीका एवं घटना का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य क्या है?	कहीं फरा मुँह बोलता था नारा पातिनी देता की लोका अपराध करता
13	थाना प्रभारी का अभिमत :- बंदी को रिहा करने के शर्तों का विचार कर देना है यदि वह रिहा होता है तो निश्चित तौर पर देश की शांति, कानून, पुरुषोद्धार और देश की शान्ति विना जाना इच्छित नहीं है।	हत्या किया
14	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का अभिमत :- था था अपनी कार की कीप के सहमति के बंदी को विहा किया जाना उचित नहीं है।	थाना प्रभारी था था, कि था अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारनी, जिला बटुल (म.प्र.)
15	पुलिस अधीक्षक का अभिमत :- था था प्रभारी था था की कीप के सहमति के बंदी को विहा किया जाना उचित नहीं है।	पुलिस अधीक्षक था था (म.प्र.)

पुलिस अधीक्षक
बटुल (म.प्र.)

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

पेज क्रमांक (14) की टाईप कॉपी

जेल में बंद कैदी (बंदी) को पैरोल/प्रोवेशन पर छोड़ने बाबत पुलिस विभाग का प्रतिवेदन
 बंदी क्रमांक 886/14 नाम शैलेन्द्र सिंह पिता मंगल सिंह
 आयु 38 वर्ष, जाति सिख निवासी क्वार्टर नं. 106 टाईप 2 पाथाखेडा प्रेमनगर
 थाना सारणी तहसील घोडाडोगरी जिला बैतूल

01.	बंदी के पूर्व वृत्तान्त बंदी जिस अपराध में सजा भुगत रहा है, इसके पूर्व के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी।	हाँ
	अन्य अपराध है।	
	(ब) यदि बंदी अभ्यस्थ अपराधी है तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी संलग्न करें।	
02.	बंदी के जमानतदार श्री दलवीर सिंह पिता श्री मंगल सिंह आयु 40 वर्ष, जाति सिख, निवासी क्व. नं. 106, प्रेमनगर टाईप 2 पाथाखेडा थाना सारणी तहसील घोडाडोगरी, जिला बैतूल को प्रस्तावित किया गया है।	
	(अ) प्रस्तावित संरक्षक/जमानतदार बंदी पर सामान्यतः माता/पिता के स्थान पर प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा।	नहीं
	(ब) प्रस्तावित जमानतदार/संरक्षक स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है उसके ऊपर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, यदि अपराध दर्ज है तो उसका विवरण संलग्न करें।	नहीं है।
	(स) प्रस्तावित संरक्षक वृद्ध/बीमार/विकलांग तो नहीं है, यदि है तो उसका विवरण	नहीं
	(द) निष्कर्ष : बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार/संरक्षक योग्य है अथवा नहीं ? यदि अयोग्य है तो कारण दर्शावे।	संरक्षक योग्य नहीं है संरक्षक शासकीय सेवा में है।
03.	बंदी जिस अपराध में दण्डित किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में संबंध है तो उसका विवरण तथा ऐसे अपराध के अभियोजन में की गई कार्यवाही की जानकारी।	हाँ
04.	बंदी पूर्व में किस किस समय जमानत पर छोड़ा गया। बंदी द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का दुरुपयोग किया गया अथवा नहीं ? जेल से छुटने की अवधि में कोई अपराध किया हो तो विवरण।	पहली बार अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
05.	क्या बंदी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्षियों को धमकाने या परेशान करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ? यदि हाँ तो उसका विवरण संलग्न करें।	बंदी द्वारा पीडित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई पीडित पक्ष के कथन संलग्न है।

पेज क्रमांक (15) की टाईप कॉपी

06.	बंदी के परिवार के सदस्यों का पूर्ववृत्तान्त यदि वे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उसका पूर्ण विवरण तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा।	नहीं
07.	बंदी का पूर्ववृत्तान्त तथा उसकी आयु, योग्यता, व्यवसाय, आदि का विवरण तथा जेल में एवं उसके बाहर व्यवसाय का विवरण	बंदी पूर्व में ठेकेदारी का काम करता था
08.	बंदी को रिहा करने पर समाज में शांति तथा कानून व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी।	शांति व्यवस्था भंग होने के संभावना है
09.	बंदी को रिहा करने पर बंदी के विरोधी/पीडित पक्ष (मृतक) के माता /पिता, भाई, पत्नी, पुत्र/पुत्री या नजदीकी रिश्तेदार का मत/भावनाएं /विचार तथा उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। अभित लिखित में प्राप्त करें	खतरे की संभावना है।
10.	बंदी को रिहा करने पर बंदी के स्वयं के जीवन को कोई खतरा तो नहीं है ? क्या वह जेल से छुटकर शांतिपूर्वक जीवन जी सकेगा।	खतरा है।
11.	बंदी के ग्रामवासी/पडौसी/सरपंच/वार्ड प्रमुख/पार्षद का मत लिखित में प्राप्त कर संलग्न करें।	पडौसी के कथन संलग्न है।
12.	बंदी द्वारा अपराध करने का तरीका एवं घटना की संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य क्या है ?	बंदी द्वारा भुक्तेश बोहरा का नगरपालिका रेडर को लेकर अपहरण कर हत्या किया
13.	थाना प्रभारी का अभिमत :- बंदी शैलेन्द्र सिंह के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुये यदि वह रिहा होता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर विपरीत असर होगा अतः रिहा किया जाना उचित नहीं है। हस्ताक्षर थाना प्रभारी सारणी बैतूल	
14.	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का अभिमत :- थाना प्रभारी सारणी की टीप से सहमत होकर बंदी को रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। हस्ताक्षर अनुविभागीय अधिकारी सारणी बैतूल	
15.	पुलिस अधीक्षक का अभिमत :- थाना प्रभारी एवं एस.डी.ओ.पी. की टीप के आधार पर बंदी को पैरोल पर छोड़े जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक बैतूल	

(16) Appendix P-4

(22)
(7)
(8)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल म0प्र0

क्रमांक / 02 / 15 / एस0डब्ल्यू0 / 2415
प्रति.

बैतूल, दिनांक 5 मार्च, 2015

अधीक्षक,
जिला जेल, बैतूल

विषय:- म0प्र0बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अधीन छुट्टी मंजूर करने के लिए आवेदन।

बंदी:- शैलेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 95 / वारंट / 2015 दिनांक 28.01.2015

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- संदर्भित पत्र से प्राप्त अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल के बंदी क्रमांक 886/14 शैलेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह निवासी-शोभापुर कालोनी टाईप थ्री नं0.141 सारनी पी0एस0-सारनी तहसील- घोडाडोंगरी जिला बैतूल म0प्र0 के अवकाश प्रारूप 'च' पर पुलिस अधीक्षक, बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक, बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक-पु0अ0/बैतूल/रीडर/बंदी अव. /01/15 दिनांक 02.03.2015 से उक्त बंदी को अधिनियम-1989 के तहत पेरॉल पर अनुमति नहीं किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है।

पुलिस अधीक्षक, बैतूल के प्रगत पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न:- उक्तानुसार.

(बी0एस0कलेक्टर)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बैतूल.

पु0अ0 / 02 / 15 / एस0डब्ल्यू0 / 2415
प्रतिलिपि:-

बैतूल, दिनांक 5 मार्च, 2015

पुलिस अधीक्षक, बैतूल को उनके पत्र क्रमांक-पु0अ0/बैतूल/रीडर/बंदी अव. /01/15 दिनांक 02.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में सूचनाार्थ प्रेषित।

अधीक्षक को सूचित किया
एवं प्रतिक्रिया करने की शताह
की जाह

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बैतूल

वनव्यापिनी

परिक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

(17) Annexure P-5

23

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 2370 / कल्याण / 2015 भोपाल दिनांक 30/6/2015

प्रति,

अधीक्षक

केन्द्रीय जेल जबलपुर म.प्र.

विषय :- केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरुद्ध बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह के निरस्त छुट्टी प्रकरण के समस्त मूल अभिलेख भेजने बाबत ।

संदर्भ :- जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल का आदेश क्रमांक 586/वारंट-04/ब.स्था./ 2015 भोपाल दिनांक 04.05.2015

र-006

विषयांकित तारतम्य में निवेदन है कि जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के संदर्भित आदेश के पालन में केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरुद्ध बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह निवासी शोभापुर कालोनी टाईप 03 न. 141 सारनी थाना सारनी जिला बैतूल को इस जेल से आपकी जेल पर दिनांक 07.06.2015 को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है ।

उक्त बंदी की निरस्त छुट्टी प्रकरण से संबंधित समस्त मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न आपकी ओर प्रेषित हैं ।

संलग्न :- मूल नरती पेज क्र.01 से 34 तक।

अधीक्षक जेल
केन्द्रीय जेल भोपाल

परिबीक्षा/कल्याण

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

(18) Annexure P-6

23
18

प्रारूप

कल्याण/परिवीक्षा अधिकारी प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन

बंदी की निरस्त/03 माह से लंबित छुट्टी प्रकरण के विरुद्ध अपील स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु

प्रारूप-पत्रक

छुट्टी नियम - 8 (ग)

- | | |
|---|--|
| 1. बंदी का नाम | शैलेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष |
| 2. पिता का नाम | मंगलसिंह |
| 3. जेल का नाम | केन्द्रीय जेल जबलपुर |
| 4. बंदी का जेल प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक | 7455/15 दिनांक 10.09.13 |
| 5. परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी का नाम | श्री अजय दत्ता |
| 6. जांच रिपोर्ट दिनांक | दिनांक 09.08.15 |
| 7. क्या बंदी के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित हैं, तो उसका संक्षिप्त विवरण दें | बंदी के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। |
| 8. बंदी का जेल में आचरण एवं उसकी गतिविधियां | बंदी का आचरण अच्छा हैं एवं उसकी गतिविधियों में सुधार परिलक्षित हो रहा हैं। |
| 9. क्या बंदी द्वारा पूर्व में जेल नियमों का उल्लंघन करते कोई जेल अपराध घटित किया गया हैं। | बंदी ने किसी भी प्रकार का जेल नियमों का उल्लंघन नहीं किया हैं न ही कोई अपराध किया हैं। |
| 10. उल्लंघन/दंडित किये जाने की स्थिति में दिए दण्ड का विवरण | बंदी को जेल प्रवेश से लेकर आज तक किसी प्रकार कोई दंड नहीं दिया गया हैं। |

नोट:- उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 08 से 10 तक के विवरण को अष्टकोण/वारंट अधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाए।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि बंदी के संबंध में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 08 से 10 तक अंकित किया गया विवरण अभिलेखानुसार है, जिसका मिलान किया गया हैं।

कल्याण/परिवीक्षा

वरिष्ठ

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

अष्टकोण/वारंट अधिकारी
(सहायक जेल अधीक्षक)
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
पूर्व दंड
केन्द्रीय जेल जबलपुर

यदि बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो :-

11. बंदी के रिस्तेदार कौन-कौन हैं ? उनके नामों का विवरण, पता एवं उनका मत
बंदी के परिवार में पत्नि पूजा, पुत्र हर्ष, आदित्य, भाई कशमीर सिंह, दलवीरसिंह, निवासी प्रेमनगर सारणी, थाना सारणी, जिला बैतूल में निवासरत् है। जिन्होंने पैरोल हेतु निवेदन किया है।
12. बंदी को छुट्टी पर भुक्ति की दशा में कोई खतरा तो नहीं होगा तथा क्या वह सुरक्षित विचरण कर सकता है ?
बंदी का जेल आचरण व्यवहार/अन्य गतिविधियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पैरोल अवधि में सुरक्षित विचरण कर सकेगा।
13. क्या बंदी पूर्व में जमानत पर रहा है, तो उसकी अवधि अंकित करे एवं बंदी द्वारा अर्जित स्वातंत्रता का दुरुपयोग तो नहीं किया था ?
बंदी पूर्व में निरोधावधि के दौरान लगभग 05 वर्ष-05 माह, जमानत पर बाहर रहा है। बंदी द्वारा किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।
14. क्या बंदी की कोई चल अथवा अचल संपत्ति है ? अथवा ऐसी पैतृक सम्पत्ति जिसमें उसका हक हो उसका विवरण
बंदी के नाम पर 7000 हजार वर्ग फिट आवासीय भूमि है। जिस पर बंदी का मालिकाना हक है।
15. बंदी के परिवार में कितने सदस्य हैं ?
बंदी के परिवार में पत्नि, दो पुत्र, दो भाईयो सहित कुल 05 सदस्य है।
16. बंदी द्वारा छुट्टी की मांग किस कारण से की गई एवं उसका उपयोग किस प्रकार करेगा ?
बंदी ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपील पैरोल हेतु निवेदन किया है।
17. क्या बंदी जेल में परिरुद्ध रहकर जेल सेवा कार्य कर रहा है ?
बंदी जेल विद्यालय में लेखन, बंदियों को पढ़ाने का कार्य करता है।
18. क्या बंदी जेल में C.O/C.N.W/ साधारण बंदी है ?
साधारण बंदी के रूप में सजा भुगत रहा है।
19. क्या बंदी को G.C.R.C. प्राप्त हुआ है।
बंदी का आचरण अच्छा होने के फलस्वरूप नियमित जी०सी०आर० प्राप्त कर रहा है।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर


20

25

4

20. बंदी द्वारा, अभ्यावेदन में अपील प्रस्तुत करने का आधार संक्षेप में दें ? जिला दण्डाधिकारी बैतूल के आदेश क्र. 02/15/एस. डबल्यू/2415 बैतूल, दिनांक 05.03.15 के द्वारा प्रथम छुट्टी निरस्त करने पर अपील पैरोल हेतु निवेदन किया गया है।
21. कल्याण अधिकारी द्वारा बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है अथवा नहीं, स्पष्ट अभिमत दें। यदि अनुशंसा की गई है तो उन कारणों को लिपिबद्ध कीजिए, जिसके आधार पर अनुशंसा की गई है ? वार्ड पार्वत क्र.-16/मोहल्लेवासियों से मौखिक चर्चा अनुसार बंदी की पैरोल स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है। मोहल्ले कर वतावरण अवकाश के पक्ष में है; अतः अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
22. क्या बंदी का प्रस्तावित जमानतदार बंदी पर नियंत्रण रख सकेगा या नहीं ? बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार श्री दलवीर सिंह पिता स्व. मंगलसिंह एवं श्री सिधारा सिंह पिता स्वर्ण सिंह जोकि रिस्ते में बंदी के क्रमशः भाई और जीजा हैं। ने बंदी को अपने नियंत्रण पर रखने हेतु मौखिक रूप से सहमति जताई है।
23. प्रस्तावित जमानतदार स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, उसके ऊपर कोई अपराध तो दर्ज, नहीं है ? बंदी के जमानतदारों की परिवार एवं समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं है।
24. प्रस्तावित जमानतदार वृद्ध/बीमार/विकलांग तो नहीं है ? बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है।
25. यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता है तो ग्रामवासी/मोहल्लेवासी/सामाजिक शांति तथा कानूनी व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी, विवरण दें ? बंदी की मनः स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अवकाश अवधि में सामाजिक शांति एवं कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।
26. यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता है तो विरोधी/व्यथित पक्ष का मत/भावना विचार तथा उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ? मृतक मुकेश बोरा की पत्नि सरोज बोरा ने बंदी के अवकाश पर मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
27. यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता है तो बंदी के स्वयं के जीवन को कोई खतरा तो नहीं है ? बंदी को अवकाश पर छोड़े जाने पर उसके जीवन को कोई खतरा होने की सम्भावना नहीं है।

प्रस्तावित प्रति



परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

28. अपराध करने का तरीका एवं घटना का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य
 वारंट टीप अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :- अभियोजन के अनुसार अभियोजित दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्त ने मृतक मुकेश का अपहरण किया और उसका गला दबाकर ऐसी मृत्यु करित की जो हत्या की श्रेणी में आती है। तथा अभियुक्त ने मृतक की मोटर साइकिल जलाकर गड्ढे में छिपा कर साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया।
29. अपराध होने की क्या बजह थी ?
 मृतक एवं अभियुक्त क्रमशः जनता पार्टी एवं कांग्रेस में पदाधिकारी थे। दोनों की आपस में राजनैतिक रंजिश इस कारण अपराध घटित हुआ।
30. क्या उक्त बजह अभी भी विद्यमान हैं ?
 वर्तमान में ऐसी बजह विद्यमान होना प्रतीत नहीं होती
31. क्या कैदी की विरोधी पक्ष के साथ अपराध करने की सम्भावना है ?
 बंदी का चाल चलन एवं अन्य गतिविधियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता परिवार से पुनः विवाद नहीं करे करेगा।
32. अपराधी की मनः स्थिति कैसी हैं ?
 बंदी की मनः स्थिति अपराध विमुख एवं सुधारात्मक हैं।

निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त 4 बिन्दु शामिल किये जाए :-

1. बंदी का परिवार वर्तमान में कहाँ निवासरत है।
 (पूर्व पता उल्लेख किया जाए)
 बंदी का परिवार वर्तमान में निवासी प्रेमनगर, पाथरखंडा, थाना सारणी, जिला बैतूल में निवासरत है।
2. विरोधी पक्ष का परिवार वर्तमान में कहाँ निवासरत है। ? (पूर्व पता उल्लेख किया जाए)
 पीड़ित परिवार वर्तमान में शोभापुर कालोनी, थाना सारणी, जिला बैतूल में निवासरत है।
3. क्या विरोधी/पीड़ित पक्ष को बंदी के पैरोल पर आपत्ति है ? अथवा मुक्ति के पक्ष में है (कृपया परिवीक्षा अधिकारी का स्पष्ट प्रतिवेदन सहित अंकित किया जाए)
 मृतक मुकेश बोरा की पत्नि सरोज बोरा ने बंदी के अवकाश पर मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की है। लिखित कथनों से इंकार किया है। अतः अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
4. क्या बंदी ने मान्. न्यायालय द्वारा पारित आदेश/ निर्णय के विरुद्ध मान्. उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील की हैं ? अपील निराकृत हो चुकी हैं अथवा लंबित है ? (कृपया स्थिति स्पष्ट करें)
 मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के समक्ष निराकरण हेतु लंबित है।

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
 परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी
 केन्द्रीय जेल जबलपुर

उपरोक्त विवरण के आधार पर बंदी को प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने/न करने के संबंध में परीवीक्षा/कल्याण अधिकारी का स्पष्ट अभिमत/निष्कर्ष/अनुशंसा:-

1. वारंट टीप अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :- अभियोजन के अनुसार अभियोजित दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्त ने मृतक मुकेश का अपहरण किया और उसका गला दबाकर ऐसी मृत्यु कारित की जो हत्या की श्रेणी में आती है। तथा अभियुक्त ने मृतक की मोटर सायकिल जलाकर गड्ढे में छिपा कर साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया।
2. बंदी जेल विद्यालय में लेखन, बंदियों को पढ़ाने का कार्य करता है। सौंपे गये कार्य को लगन निष्ठा पूर्वक करता है। किसी प्रकार का जेल नियमों का उल्लंघन व अपराध न करने के फलस्वरूप नियमित माफी प्राप्त कर रहा है।
3. बंदी पूर्व में निरोधावधि के दौरान लगभग 05 वर्ष 05 माह, जमानत पर बाहर रहा है। बंदी ने किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्र्य का दुरुपयोग नहीं किया है। वार्ड पार्षद क्र.-16/मोहल्लेवासियों के द्वारा मौखिक बंदी की पैरोल स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है। मोहल्ले कर वतावरण अवकाश के पक्ष में हैं।
4. बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार श्री दलवीर सिंह पिता स्व. मंगलसिंह एवं श्री सिधारा सिंह पिता स्वर्ण सिंह जोकि रिस्ते में बंदी के क्रमशः भाई और जीजा हैं। जिन्होंने बंदी को अपने नियंत्रण पर रखने हेतु मौखिक रूप से सहमति जताई है।

अतः बंदी ने निरोधावधि एवं परिहार सहित दिनांक 31.07.15 की स्थिति में 02 वर्ष 09 माह 16 दिन की वास्तविक सजा भुगत लिया है। बंदी का जेल आचरण व अन्य गतिविधियों को देखते हुए अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान - केन्द्रीय जेल जबलपुर

दिनांक 09.08.15

(अजय देजा)
परीवीक्षा/कल्याण अधिकारी
मैलाजी सुभाष चंद्र बोस
केन्द्रीय जेल, जबलपुर

जेल अधीक्षक द्वारा बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने / न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अनुशंसा :-

बंदी को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है/ अभी बंदी ने लज्जा के साथ जेल में बिताये हैं। बंदी प्रभावितक कारावास में मोपल जेल है 6/15 से 31.08.15 तक है।

स्थान - केन्द्रीय जेल जबलपुर

दिनांक 31.08.15

जेल अधीक्षक
मैलाजी सुभाष चंद्र बोस
केन्द्रीय जेल, जबलपुर

अपुलमिपित प्रति

वरिष्ठ

परीवीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

27-11-17

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - / 2016

याचिकाकर्ता
(जेल में)

शैलेन्द्र सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

म. प्र. शासन द्वारा सचिव एवं अन्य

दस्तावेज सूची

क्र.	दस्तावेज का विवरण	दिनांक	असल/ फोटो प्रति	पृष्ठ शीट
1.	उत्तरवादी क. 4 द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति	23.10.2015	फोटो प्रति	1 शीट
2.	याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क. 3 के समक्ष दिया गया पैरोल छुट्टी का आवेदन पत्र की फोटो प्रति	28.01.2015	फोटो प्रति	1 शीट
3.	पुलिस बैतूल द्वारा उत्तरवादी क. 3 के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की फोटो प्रति	02.03.2015	फोटो प्रति	2 शीट
4.	उत्तरवादी क. 3 का सूचना पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल आवेदन पत्र निरस्त किये जाने बावत् की फोटो प्रति	05.03.2015	फोटो प्रति	1 शीट
5.	याचिकाकर्ता का केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर में स्थानांतरण पत्र की फोटो प्रति	07.06.2015	फोटो प्रति	1 शीट
6.	याचिकाकर्ता की पैरोल अपील के संबंध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी का दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक की दिनांक 31.08.2015 की स्वीकृति की फोटो प्रति	09.08.2015 31.08.2015	फोटो प्रति	3 शीट
			कुल	9 शीट

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

(10) Appendix P.1
// जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.//

-:: आदेश ::-
क्रमांक / 1235 / वारंट-6 / पै.अ. / 121 / 15, भोपाल, दिनांक 23/10/2015

बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह, केन्द्रीय जेल, जबलपुर द्वारा जिला दण्डाधिकारी, बैतूल के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधीक्षक जेल के माध्यम से प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया।

2. बंदी धारा-302/34, 364, 435, 201 भा.द.वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड 5000+3000+1000+1000/- या क्रमशः 3-3 वर्ष के दण्ड से दण्डित है और वह उक्त सजा जेल में परिरुद्ध रहकर भुगत रहा है।

3. न्यायालय द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध की गई अपराधिक अपील भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. बंदी के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत प्रदत्त नहीं की गई है।

5. पीडित पक्ष द्वारा बंदी को पैरोल (अस्थायी छुट्टी) पर छोड़े जाने पर आपत्ति प्रकट की गई है।

6. पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर बंदी को पैरोल पर छोड़े जाने में असहमति व्यक्त की गई है। उक्त प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी को पैरोल पर न छोड़े जाने का अभिमत दिया गया है।

7. पुलिस अधीक्षक, बैतूल के अभिमत व मैदानी स्तर से आई प्रतिकूल टीक के परिप्रेक्ष्य में ठोस एवं प्रथम दृष्टया विश्वसनीय सामग्री (तथ्य एवं परिस्थितियों) पर आधारित होकर पर्याप्त रूप से तर्कसंगत पाई जाती है।

अतः लोकहित का अपाय किये बिना आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बंदी को जेल से पैरोल पर छोड़ने योग्य प्रकरण नहीं पाया जाता है। इसलिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा बंदी को पैरोल स्वीकृत नहीं करने के निर्णय असहमत होने के कोई ठोस आधार के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अमान्य की जाती है।

:: वी. के. सिंह ::

महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल.

प्रक्रमांक / 1297-99 / वारंट-6 / पै.अ. / 121 / 15, भोपाल, दिनांक 23/10/2015
प्रतिलिपि:-

1. जिला दण्डाधिकारी, जिला- बैतूल (म0प्र0)

2. पुलिस अधीक्षक, जिला- बैतूल (म0प्र0)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर (म0प्र0) की ओर बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह, का प्रकरण मूलतः भेजकर आपको निर्देशित किया जाता है कि, बंदी को आदेश की प्रति ज्ञदाय कर उसकी अभिरक्षकता इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल.

व्यक्तिगत प्रति

वारंट

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी
केन्द्रीय जेल जबलपुर

[Signature]

(18)

(1) Annexure P-2

13

11

प्रारूप- "च"

(नियम 5(क) देखिये)

छुट्टी / आपात छुट्टी पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अधीक्षक

जिला जेल बैंगलूर

य :- मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अधीन छुट्टी / आपात-छुट्टी मंजूर करने के लिये आवेदन।

दयः

निवेदन है, कि मुझे छरिजनों से मिलने हेतु के लिये

4.02.2015 से 28.02.2015 (15) दिन तक की कालावधि की छुट्टी / आपात छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। छुट्टी की कालावधि के दौरान मैं नलिखित स्थानों को जाऊँगा। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं नीचे उल्लिखित नों से भिन्न अन्य किन्हीं भी स्थानों को नहीं जाऊँगा :-

ने के लिए प्रस्तावित स्थान :-

1. ग्राम सारणी डाक खाना सारणी (पायादेडा)
थाना सारणी जिला बैंगलूर
2.
3.
4.

अवित जमानत दारों के नाम नय पिता के

1. नाम प्रहवीर सिंह जी. मंगल सिंह
ग्राम सुमनगर पायादेडा डाक खाना पायादेडा
थाना सारणी जिला बैंगलूर
2. नाम सुभाष चन्द्र सिंह जी. सि. तासिग 5/6 स्वकी सिंह
ग्राम सुभाष नगर पायादेडा डाक खाना पायादेडा
थाना सारणी जिला बैंगलूर

कल्याण प्रभुधर सिंह के सामक्ष

बंदी के हस्ताक्षर

प्रहवीर सिंह

परिबीक्ष/कल्याण अधिकारी
केन्द्रिय जल बैंगलूर

19/11/19
(जेल कार्यालय के लिये)

रवई क्रमांक 886/14 नाम शैलेन्द्र सिंह
 आत्मज मंगल सिंह निवासी शेखापुर कालोनी टाईम्स नगरापास
 अपराध की धारा 302/34, 364, 435, 201, भादवि
 के लिये दंडादिष्ट आजम् कारावास, आजम् कारावास, 03 वर्ष 03 वर्ष सश्रम कारा
 दण्डादेश की तारीख 10.09.2013
 दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम मान्य श्री प्रशान्त कुमार निगम Jst AS) BE
 पत्र में ली गई छुट्टी/अप्राप्त छुट्टी यदि कोई हो

विचाराधीन अवधि वर्ष 00 माह 03 दिन
 दण्डादेश दिनांक को भुगतें हुए कुल (27.12.2014) वर्ष 01 माह 03 दिन
 प्राप्त परिहार पर भुगतें हुए वर्ष 00 माह 05 दिन
 कुल दण्डादेश वर्ष 02 माह 01 दिन
 अवशिष्ट परिहार पर अवशेष दण्डादेश शासन आदेश नक
 जेल में बंदी का आचरण डी-एड

अध्यक्ष निदेश लिपिक
 जेल निदेशक के लिये

अधीक्षक
 जेल निदेशक के लिये

कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जिला/उच्च जेल जबलपुर
 क्रमांक 95/कार/2015 दिनांक 28/11/2015

वोष सिद्धो व्यक्ति शैलेन्द्र सिंह
 आत्मज मंगल सिंह का आवेदन पत्र मूलतः
 (1) जिला मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर
 को जेल अधीक्षक दण्डादेश, भोगस की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया जा रहा है।
 (2) जिला मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर को भुगतें हुए कुल (27.12.2014) वर्ष 01 माह 03 दिन
 प्राप्त परिहार पर भुगतें हुए वर्ष 00 माह 05 दिन
 कुल दण्डादेश वर्ष 02 माह 01 दिन
 अवशिष्ट परिहार पर अवशेष दण्डादेश शासन आदेश नक
 जेल में बंदी का आचरण डी-एड

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी 20/12
 केन्द्रीय जेल जबलपुर

अधीक्षक
 जेल निदेशक के लिये

6.5 - यह कि, याचिकाकर्ता के परिवार में पत्नी पूजा, पुत्र हर्ष व आदित्य, भाई कशमीर सिंह, दलवीरसिंह ने पैरोल हेतु निवेदन किया है तथा याचिकाकर्ता विचारण के दौरान लगभग 5 वर्ष, 5 माह जमानत पर बाहर रहा है उसके द्वारा किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्र्य का दुरुपयोग नहीं किया है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.6 - यह कि, केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवदेन के अनुसार मृतक मुकेश बोहरा की पत्नी सरोज बोहरा ने याचिकाकर्ता के पैरोल अवकाश पर मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की है लिखित कथनों से इंकार किया है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती सरोज बोहरा का किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.7 - यह कि, केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवदेन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण लेख किया है कि याचिकाकर्ता ने मृतक मुकेश बोहरा का अपहरण किया और उसका गला दबाकर मृत्यु कारित की तथा मृतक की मोटर सायकिल जलाकर गड्डे में छिपा दिया, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का अपराध विरले से विरले अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अनुतोष एवं सहायता :-

याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि उत्तरवादी क्र. 3 एवं 4 को इस आशय का निर्देश दिया जावे की याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में पैरोल आवेदन पत्र उत्तरवादी क्र. 3 या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे तो वे समानता के अधिकार के अधीन तथा याचिकाकर्ता की वर्तमान अचारण को देखते हुये बिना भेद भाव के पैरोल की स्वीकृति दे। इस आशय का निर्देश माननीय न्यायालय न्यायहित में पारित करें।

8. अंतरिम सहायता :-

याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि याचिका के विचारण के दौरान उत्तरवादी क्र. 3 को निर्देशित किया जावे की वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल अपील को स्वीकृत कर उसे पैरोल पर छोड़ने का आदेश पारित करे।

9. दस्तावेजों का विवरण :- विषय वस्तु के अनुसार संलग्न है।

10. केविएट :- याचिकाकर्ता घोषणा करता है कि उसे उत्तरवादीगण द्वारा केविएट का नोटिस प्रदान नहीं किया गया है और न ही केविएट नोटिस प्राप्त हुआ है।

याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता की पत्नी का शपथ पत्र संलग्न है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



-- 8 --

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - / 2016

याचिकाकर्ता - शैलेन्द्र सिंह
(जेल में)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण - म. प्र. शासन द्वारा ~~राजिब~~ एवं अन्य

शपथ पत्र

मैं श्रीमती पूजा सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह, निवासी - शोभापुर कॉलोनी, टाईप 3 क्वाटर नं. 141 के पीछे, झोपड़ी पाथाखेड़ा, पुलिस थाना सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) बामूकाम जबलपुर में शपथ पूर्व निम्नलिखित कथन करती हूँ :-

1. यह कि, मैं याचिकाकर्ता की पत्नी हूँ तथा इस संबंध में यह प्रथम याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
2. यह कि मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अधीन प्रस्तुत की है।
3. यह कि संलग्न याचिका की कॉडिका क्रमांक 01 से 10 तक में वर्णित कथन मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य व सही है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18/01/2016

Shailendra Singh
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं श्रीमती पूजा सिंह, उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक को हस्ताक्षर कर सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र की कॉडिका क्रमांक 1 से 3 में वर्णित कथन मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य व सही है।

Sworn before me on the 18/01/2016 day of Jan A.D. 2016
by Shri. Shailendra Singh
S/o Shri. Shailendra Singh
who is personally known to me / has been identified
by Shri. Neesha Sharma Advocate
whose signature attested below

Shailendra Singh
सत्यापनकर्ता



Signature- *[Signature]*
Date 18/01/2016

[Signature]
Gopal Dutt Garg
Oath Commissioner
For the High Court

5. याचिका के तथ्य :-

5.1 - यह कि, याचिकाकर्ता भारत का निवासी है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राप्त मूल अधिकारों को प्राप्त करने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

5.2 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 1 को इस कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उत्तरवादी क्र. 2, 3 एवं 4 उनके अधीनस्थ विभाग हैं।


5.3 - यह कि, याचिकाकर्ता के ऊपर यह आरोप है कि उसने पुलिस थाना सारणी जिला बैतूल में मृतक मुकेश बोहरा की हत्या कर दी थी जिस कारण पुलिस थाना सारणी ने अपराध पंजीबद्ध कर अपराध धारा 302/34, 364, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोपी पत्र विचारण न्यायालय बैतूल में प्रस्तुत किया, अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने एस.टी. क्र. 66 / 08 में याचिकाकर्ता को उक्त अपराध में आजीवन कारावास का दण्डादेश दिनांक 10.09.2013 को पारित किया, उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील क्र. 2441/13 प्रस्तुत की है जो विचारधीन है।

5.4 - यह कि, उक्त निर्णय के फलस्वरूप याचिकाकर्ता जिला जेल बैतूल में 2 वर्ष, 1 माह परिरुद्ध रहा। जिस कारण उसने अपनी घरेलू आवश्यकताओं व परिजनों से मिलने हेतु दिनांक 04.02.2015 से 28.02.2015 तक कुल 15 दिन की पैरोल छुट्टी मंजूर करने के लिए जिला बैतूल जेल से दिनांक 28.01.2015 को उत्तरवादी क्र. 3 (जिला मजिस्ट्रेट बैतूल) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो संलग्न अनुसूचि पी - 2 है।

5.5 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता की पैरोल के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल से अभिमत चाहा गया तदपश्चात पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारणी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 को प्रस्तुत किया। जो संलग्न अनुसूचि पी - 3 है।

5.6 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 3 ने पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारणी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 के आधार पर याचिकाकर्ता का पैरोल की छुट्टी का आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2015 को निरस्त कर दिया और उसमें एक टीप लिख दी की " बंदी को सूचित किया एवं अपील करने की सलाह दी गई "। जो संलग्न अनुसूचि पी - 4 है।

5.7 - यह कि, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला जेल बैतूल से केन्द्रीय जेल भोपाल हो गया, तदपश्चात याचिकाकर्ता का दिनांक 07.06.2015 को प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर कर दिया गया, इसी कारण उत्तरवादी क्र. 2 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्र. 2 से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए है। जो संलग्न अनुसूचि पी - 5 है।



5.8 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा दिया गया पत्र क्र./02/15/एस.डब्ल्यू./2415 दिनांक 05.03.2015 का याचिकाकर्ता को इस आशय का प्राप्त हुआ कि उसके द्वारा दिया गया पैरोल हेतु आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है उसे अपील करने की सलाह दी गई है तदपश्चात् याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय जेल जबलपुर के मार्फत उत्तरवादी क्र. 4 के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

5.9 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 4 ने उपरोक्त अपील की कार्यवाही के दौरान केन्द्रीय जेल जबलपुर से याचिकाकर्ता की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया तदपश्चात् केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के संबंध में छुट्टी नियम 8 (ग) के अधीन प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय जेल जबलपुर के अधीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2015 को दी गई। जो संलग्न अनुसूचि पी - 6 है।

5.10 - यह कि, उत्तरवादी क्र. 4 ने केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर तथा मृतक मुकेश बोहरा की पत्नि श्रीमती सरोज बोहरा की याचिकाकर्ता को पैरोल छुट्टी पर छोड़े जाने पर आपत्ति प्रकट किये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.10.2015 को आदेश क्र. /1235/वारंट-6/पै.अ./121/15 के अनुसार निरस्त कर दी है। जो संलग्न अनुसूचि पी - 1 है। जिससे दुखित होकर यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

6. याचिका के आधार :-

6.1 - यह कि, याचिकाकर्ता पढ़ा लिखा व शिक्षित व्यक्ति है साथ ही कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था तथा इसी प्रकार मृतक मुकेश बोहरा भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी था। इसी कारण राजनैतिक प्रभाव के अधीन जिला बैतूल पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इस आधार पर पारित किया गये आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6.2 - यह कि, याचिकाकर्ता के पक्ष में केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिया है, इस आधार पर भी पारित किया गये आदेश निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही इस आधार पर याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.3 - यह कि, याचिकाकर्ता ने निरोधावधि एवं परिहार सहित दिनांक 31.07.2015 की स्थिति में 2 वर्ष, 9 माह 15 दिन की वास्तविक सजा भुगत लिया है और जेल में उसे किसी प्रकार से दंड नहीं दिया गया है, न ही जेल नियमों का उल्लंघन किया है, जेल में याचिकाकर्ता का आचरण अच्छा है व उसकी गतिविधियों में सुधार परिलक्षित हो रहा है, साथ ही जेल में अन्य बंदियों को पढ़ाने का कार्य करता है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

यह कि, याचिकाकर्ता के वार्ड पार्श्व क्र. 16 तथा मोहल्लेवासियों के अनुसार याचिकाकर्ता की स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है तथा मोहल्ले वाले उसके पैरोल अवकाश के पक्ष में हैं। इस आधार पर याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।



समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - / 2016

याचिकाकर्ता - शैलेन्द्र सिंह
(जेल में)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण - म. प्र. शासन द्वारा सचिव एवं अन्य

घोषणा

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पुस्तिका 2008, आदेश 25 अध्याय 10 के अधीन याचिका की एक प्रति एडवोकेट जनरल ऑफिस जबलपुर (म.प्र.) में दिनांक 18/01/2016 समयको प्रस्तुत कर दी गई है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18 / 01 / 2016

T-C
नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

18/01/16
N. K. Sharma (Adv.)

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - 1242 / 2016

याचिकाकर्ता
(जेल में)

- शैलेन्द्र सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- म. प्र. शासन द्वारा सचिव एवं अन्य

अनुसूची

क्र.	विवरण	मार्क	पृष्ठ संख्या
1.	घोषणा		1
2.	अनुसूची		2
3.	याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य		3
4.	याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान		4 से 7
5.	शपथ पत्र		8
6.	दस्तावेज सूची		9
7.	उत्तरवादी क्र. 4-द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 की प्रमाणित प्रति	P - 1	10
8.	याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2015 को उत्तरवादी क्र. 3 के समक्ष दिया गया पैरोल छुट्टी का आवेदन पत्र की फोटो प्रति	P - 2	11 से 12
9.	पुलिस बैतूल द्वारा दिनांक 02.03.2015 को उत्तरवादी क्र. 3 के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की फोटो प्रति	P - 3	13 से 15
10.	उत्तरवादी क्र. 3 का दिनांक 05.03.2015 का सूचना पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल आवेदन पत्र निरस्त किये जाने बावत् की फोटो प्रति	P - 4	16
11.	याचिकाकर्ता का दिनांक 07.06.2015 को केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर में स्थानांतरण की फोटो प्रति	P - 5	17
12.	याचिकाकर्ता की पैरोल अपील के संबंध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी का दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक की दिनांक 31.08.2015 की स्वीकृति की फोटो प्रति	P - 6	18 से 22
13.	वकालतनामा		23

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - 1202/2016

याचिकाकर्ता
(जेल में)

शैलेन्द्र सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

म. प्र. शासन द्वारा सचिव एवं अन्य

याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

क्र.	दिनांक	विवरण
1.	10.09.2013	याचिकाकर्ता के ऊपर यह आरोप है कि उसने थाना सारणी जिला बैतूल में मृतक मुकेश बोहरा की हत्या कर दी जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उक्त अपराध में आजीवन कारावास का दण्डादेश दिनांक 10.09.2013 को पारित किया, उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील क्र. 2441/13 प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।
2.	28.01.2015	याचिकाकर्ता जिला जेल बैतूल में 2 वर्ष, 1 माह परिरुद्ध रहा। जिस कारण उसने अपनी घरेलू आवश्यकताओं व परिवारों से मिलने हेतु दिनांक 04.02.2015 से 28.02.2015 तक कुल 15 दिन की पैरोल छुट्टी मंजूर करने के लिए जिला बैतूल जेल से दिनांक 28.01.2015 को उत्तरवादी क्र. 3 (जिला मजिस्ट्रेट बैतूल) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो अनुसूचि पी - 2 है।
3.	02.03.2015	उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता की पैरोल के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल से अभिमत चाहा गया तदपश्चात पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारणी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 को प्रस्तुत किया। जो संलग्न अनुसूचि पी - 3 है।
4.	05.03.2015	उत्तरवादी क्र. 3 ने पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारणी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 के आधार पर याचिकाकर्ता का पैरोल की छुट्टी का आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2015 को निरस्त कर दिया। जो संलग्न अनुसूचि पी - 4 है।
5.	07.06.2015	याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला जेल बैतूल से केन्द्रीय जेल भोपाल हो गया, तदपश्चात याचिकाकर्ता का दिनांक 07.06.2015 को प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर कर दिया गया, जो संलग्न अनुसूचि पी - 5 है।
6.	09.08.2015	उत्तरवादी क्र. 4 ने उपरोक्त अपील की कार्यवाही के दौरान केन्द्रीय जेल जबलपुर से याचिकाकर्ता की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया तदपश्चात् केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के संबंध में छुट्टी नियम 8 (ग) के अधीन प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय जेल जबलपुर के अधीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2015 को दी गई। जो संलग्न अनुसूचि पी - 6 है।
7.	23.10.2015	उत्तरवादी क्र. 4 ने केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर तथा स्मार्ज ऑर्डर की याचिकाकर्ता को पैरोल छुट्टी पर छोड़े जाने पर आपत्ति प्रकट किये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.10.2015 को आदेश क्र./1235/वार्ड-6/पै.अ./121/15 के अनुसार निरस्त कर दी है। जो संलग्न अनुसूचि पी - 1 है।

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 18/01/2016

नीरज शर्मा (एड.)
अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक - / 2016

याचिकाकर्ता - शैलेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, आत्मज श्री मंगल सिंह,
(जेल में) निवासी - शोभापुर कॉलोनी, टाईप 3 क्वार्टर नं. 141 के पीछे, झोपड़ी
पाथाखेड़ा, पुलिस थाना सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण - 1. म. प्र. शासन द्वारा सचिव
गृह मंत्रालय विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
2. केन्द्रीय जेल अधीक्षक,
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर (म.प्र.)
3. जिला मजिस्ट्रेट बैतूल,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल (म.प्र.)
4. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ,
जेल मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान


1. आदेश एवं निर्णय का विवरण जिसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जा रही है :-
- (a). आदेश दिनांक - 23.10.2015
- (b). आदेश क्रमांक - क्रमांक 1235/वारंट-6/पै.अ./121/15
- (c). किसके द्वारा आदेश दिया गया - उत्तरवादी क्र. 4
- (d). याचिका जिस संबंध में प्रस्तुत की जा रही है :-

यह कि, याचिकाकर्ता केन्द्रीय जेल जबलपुर में हत्या के प्रकरण में बन्दी है तथा उसकी क्रिमिनल अपील नं. 2441/13 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, याचिकाकर्ता ने पैराल पर 15 दिन अस्थाई छुट्टी हेतु आवेदन उत्तरवादी क्र. 3 के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन की कार्यवाही के दौरान मृतक मुकेश बोहरा की पत्नि श्रीमती सरोज बोहरा की आपत्ति आई जिस कारण उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध उसने उत्तरवादी क्र. 4 के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो निरस्त कर दी गई है।

2. घोषणा :- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी भी माननीय उच्च न्यायालय या किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी अधिकरण में याचिका प्रस्तुत नहीं की है।

याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई सहायता :- यह कि, याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि उत्तरवादी क्र. 3 एवं 4 को इस आशय का आदेश दिया जावे कि याचिकाकर्ता को 15 दिन की पैराल छुट्टी पर छोड़ा जावे।

अवधि :- यह कि, याचिकाकर्ता द्वारा बिना विलम्ब के समयावधि के अंदर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।



जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक 5718 / विधि-पी / 2016
प्रति,

भोपाल दिनांक 2/3 / 2016

विधि अधिकारी

केन्द्रीय जेल जबलपुर

विषय:- रिट याचिका क्रमांक 1202 / 2016 शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन ।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का सूचना पत्र दिनांक 10.02.2016

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह द्वारा पैरोल अपील अमान्य किये जाने के विरुद्ध रिट याचिका क्र. 1202/2016 माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आपको प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु शासन की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश प्राप्ति के पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में प्रकरण से सम्बंधित सुसंगत अभिलेख के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रत्यावर्तन तैयार करवाये जाने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा आदेशित)

पृ.क्रमांक 719-20 विधि-ई / 2015
प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता कार्यालय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर उक्त अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ विधि अधिकारी
मध्य प्रदेश भोपाल

भोपाल दिनांक 2/3 / 2015

वरिष्ठ विधि अधिकारी
मध्य प्रदेश भोपाल

